

फर्द अहकाम  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

२१  
३७/१०

अजय मीणा बनाम राजू व अन्य

वाद पत्र संख्या 36/2021

Ac  
- 5

19-02-2021 वादी की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल बैरवा ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादीगण को जारी हो। पत्रावली दिनांक ~~18/3/21~~ को पेश हो।

नोटिस जारी  
1128-31  
19/02/21

18/3/21 : पत्रावली पेश हुई। ~~पत्रावली~~ वादी उपर पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलेबी/जखम दिनांक ~~17/6/21~~ को पेश हो।

17/6/21 : पत्रावली पेश हुई। ~~पत्रावली~~ वादी उपर पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलेबी/जखम दिनांक ~~13/9/21~~ को पेश हो।

13/9/21 : पत्रावली पेश हुई। ~~पत्रावली~~ वादी उपर पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलेबी/जखम दिनांक ~~13/11/21~~ को पेश हो।

13/11/21 : पत्रावली आज प्रशासन गांवों के विधवा अभियान 2021 के मध्य में पेश हुई। समय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक ~~31/3/22~~ को पेश हो।

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
जमवारामगढ़ (जयपुर)

अजय मीणा  
Identified by  
my ad

ल  
द  
T  
ए  
T  
-

Identified by  
3-10-21 भीजा

18/11/21 - वादी की ओर से एक प्रार्थना  
पत्र वाद को विद्रा करने हेतु दिनांक  
30/11/2021 को पेश किया गया पर  
पत्रपत्नी द्वारा पेश हुई बखी ने  
प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में उक्ति किया  
कि वादी व प्रतिवादी में आपसी  
वहमती से तारकाता होने के कारण  
वाद पत्र व दूर को आगे चलाना  
जो चाहते है इसी लिए वाद वा. 9  
को विद्रा कर खारिज किया जाये

वादी एवं उपस्थित उद्योग अपने  
दाखलगीये प्रितकी पहचान एडवोकी  
किशोरलाल बोवा ने की। पत्रपत्नी का  
किवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र  
विद्रा के लिये किया जाता है तथा  
वाद को विद्रा करने की स्वीकृति प्राप्त  
की जाती है पत्रपत्नी इसी लिए वा. 9 (खारिज  
नकरने का हो वाद को सुनने के  
समय ही) एफ

(विश्वामित्र भीजा)  
उपखण्ड अधिकारी  
जयवारासगढ़

म. दिनांक: 18/11/21  
पत्रपत्नी: 30/11/21  
मामल: 18/11/21  
दि. 18/11/21